## <u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,बैहर</u> <u>तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—1131 / 2014</u> <u>संस्थित दिनांक—26.11.2014</u> फाईलिंग क.234503011792014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बिरसा, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

— — — अभियोजन

## // विरुद्ध //

1.फजर हुसैन उम्र—32 वर्ष पिता के0एन0 हबीब, निवासी दमोह लाल चौक वार्ड नं.04 थाना बिरसा जिला बालाघाट। 2.अब्दुल शफी खान उम्र—45 वर्ष पिता अब्दुल रज्जाक खान, निवासी दमोह लाल चौक वार्ड नं.04 थाना बिरसा जिला बालाघाट। 3.आमना खान उम्र—38 वर्ष, पित अब्दुल शफी, निवासी दमोह लाल चौक वार्ड नं.04 थाना बिरसा जिला बालाघाट।

-----अभियुक्तगण

## // <u>निर्णय</u> //

#### (आज दिनांक-22/04/2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए, 506 भाग—दो, 406/34 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक—19.05.2014 से दिनांक 28.10.2014 के मध्य ग्राम वार्ड नं.04 लाल चौक दमोह थाना अंतर्गत बिरसा में फरियादी फलक मंशूरी से उसके पित, नंद एवं नंदोई होने के नाते फरियादी से द्रक के लिये 2,00,000/— रुपये नगद, सोने की बाली के लिये शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर फरियादी को संत्रास करने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित कर फरियादी से विवाह में उपहार स्वरूप प्राप्त स्त्री धन जेवराज को बेईमानी से दुर्विनियोग कर स्वयं के उपयोग में समपरिवर्तित कर न्यासभंग किया।
- 2— अभियुक्तगण राजीनामा के आधार पर दिनांक—17.02.2016 के आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—506 भाग—दो, 406/34 के आरोप से दोषमुक्त हुए है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए राजीनामा योग्य नहीं होने से उक्त धारा में प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी फलक मंशूरी के आवेदन के आधार पर से पुलिस थाना डिण्डोरी जिला डिण्डोरी में रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि उसका निकाह दिनांक 19.05.2014 को सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार फजर हुसैन निवासी दमोह जिला बालाघाट के साथ हुआ था। शादी के बाद फरियादिया का पति अभियुक्त फजर हुसैन, नद आमना एवं नंदोई अब्दुल शफी द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी देने लगे थे। अभियुक्तगण फरियादी से कहते थे कि वह उसके साथ क्या लेकर आई है। फरियादी से द्रक के लिये 2,00,000 / - रुपये मांगते थे एवं फरियादिया का पति उसकी बहन के लिये सोने की बाली मांगता था और कहता था कि नहीं देगी तो वह मारेगा एवं उसकी बहन एवं बहनोई से भी पिटवायेगा। फरियादी से कहा था कि उसके पिता से फोन कर पैसे एवं सोने के जेवर मंगाये नहीं तो वह उसका टेंट्आ दबा देंगे। फरियादिया बोली थी कि उसकी अभी शादी हुई है। उसके पिता ने 5,00,000 / – रुपये उधार लेकर खर्चा किये है। फरियादी ने कहा था कि उसके पिता के पास जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी वह दे देंगे। फरियादी ने उसके पिता से फोन करके कहा था कि उसे बचा ले, तब फरियादी अपने मायके चली आई थी। पुनः जफर हुसैन द्वारा बार–बार फोन करने से फरियादी के पिता उसे लेकर दोबारा उसके ससुराल गये थे। फरियादिया को ससुराल में छोड़कर गये थे। पिता के तुरंत जाने के बाद से फरियादिया का पति, नंद एवं नंदोई कहने लगे थे कि दहेज, पैसे एवं बाली क्यों नहीं लाई कहकर प्रताड़ित कर मारपीट करने लगे थे एवं कहने लगे थे कि उसे जला देंगे तब वह स्वयं सामान एवं पैसे लेकर आ जायेगी। फरियादी के पिता ने जो जेवर दिये थे उसे भी अभियुक्तगण ने छुड़ा लिया था। ६ ाटना की जानकारी फरियादी ने उसकी माँ एवं पिता को बताई थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर से पुलिस थाना डिण्डोरी ने अपराध क्रमांक 0 / 14 का प्रकरण पंजीबद्ध कर घटनास्थल ग्राम दमोह थाना बिरसा जिला बालाघाट का पाये जाने पर प्रकरण की डायरी अग्रिम अनुसंधान हेतु थाना बिरसा जिला बालाघाट भेजी गई थी। पुलिस थाना बिरसा ने अपराध क्रमांक-143/2014 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4— अभियुक्तगण पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 01 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया था, तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5— अभियुक्तगण का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण का कहना है कि वह निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

#### 6— प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:--

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 19.05.2014 से दिनांक 28.10.2014 के मध्य ग्राम वार्ड नंबर 04 लाल चौक दमोह थाना अंतर्गत बिरसा में फरियादी फलक मंशूरी से उसके पित, नंद, नंदोई होने के नाते फरियादी से द्रक के लिये 2,00,000 / – रुपये नगद, सोने की बाली की मांग कर फरियादी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

# विचारणीय प्रश्न कमांक—1 का निष्कर्ष :--

- 7— फलक मंशूरी अ.सा.01, श्रीमती अनवरी बेगम अ.सा.02, शेख नवाब मंशूरी अ.सा.03 का कथन है कि वह अभियुक्तगण को जानते है। फलक मंशूरी का विवाह दिनांक 19.05.2014 को मुस्लिम रीति—रिवाज के अनुसार अभियुक्त जफर हुसैन के साथ हुआ था। विवाह के बाद फरियादिया उसके ससुराल ग्राम दमोह आई थी। दमोह में फरियादिया एवं अभियुक्तगण का घरेलू काम पर से विवाद हुआ था। विवाद के बाद फरियादिया एवं अभियुक्तगण का घरेलू काम पर से विवाद हुआ था। विवाद के बाद फरियादिया उसके मायके डिण्डोरी आ गई थी। फरियादिया ने उसके माता—पिता को घटना के बारे में बताया था। उसके उपरांत फरियादिया ने पुलिस थाना डिण्डोरी में प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। पुलिस ने फरियादिया के कथन लिये थे। पुलिस ने अनवरी बेगम एवं शेख नवाब मशूरी से कोई पूछताछ नहीं की थी। फलक मंशूरी अ.सा.01, अनवरी बेगम अ.सा.02, शेख नवाब मंशूरी अ.सा.03 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।
- 8— शब्बीर अहमद अ.सा.5 का कथन है कि फरियादी फलक मंशूरी उसकी भांजी है। फरियादी का विवाह दिनांक 19.05.2014 को अभियुक्त फजर हुसैन के साथ मुस्लिम रीति—रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। अभियुक्तगण एवं फरियादी के मध्य क्या विवाद हुआ था साक्षी को उसकी भांजी ने कभी नहीं बताया था। साक्षी को इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस ने उसके समक्ष फलक मंशूरी से जप्ती की कार्यवाही की थी। साक्षी ने जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी को अभियोजन पत्र द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन पक्ष

के प्रकरण का समर्थन होता हो।

- 9— राजधर दुबे सहायक उपिनरीक्षक अ.सा.04 का कथन है कि दिनांक 28.10.2014 को उसे अपराध क्रमांक 143/14 की केस डायरी अनुसंधान के लिये प्राप्त होने पर उसने जीवन नायक की निशादेही पर घटनास्थल पर जाकर ह ाटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने उक्त दिनांक को ही जीवनलाल नायक, राजकुमार के कथन उनके बतायेनुसार लेखबद्ध किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के सभी सुझावों को अस्वीकार किया है। इस साक्षी ने उसके अनुसंधान के अनुरूप साक्ष्य दी है।
- 10— सुरेश अ.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 05.11.2014 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को 143/14 की केस डायरी अनुसंधान के लिये प्राप्त होने पर उक्त साक्षी ने फलक मंशूरी से गवाहों के समक्ष विवाह का कार्ड जिस पर फलक मंशूरी एवं जफर मंशूरी का निकाह सोमवार 19 मई 2014 को होना लिखा हुआ था फरियादिया के पेश करने पर जप्त किया था, जप्ती पंचनामा प्र.पी.07 है। साक्षी ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 लगायत प्र.पी.10 तैयार किये थे। साक्षी ने फलक मंशूरी, शेख नवाब मंशूरी, अनवरी बेगम, शब्बीर अहमद, मो0 सईक खान के कथन उनके बतायेनुसार लेख किये थे। इस साक्षी ने उसके अनुसंधान के अनुरूप साक्ष्य दी है।
- 11— फलक मंशूरी अ.सा.1, अनवरी बेगम अ.सा.02, शेख नवाब मंशूरी अ.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि फरियादी फलक मंशूरी को उसका स्त्री धन वापस प्राप्त हो चुका है। इन साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि फरियादिया का अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा करने के कारण साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने किसी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। फलक मंशूरी अ.सा.01, अनवरी बेगम अ.सा.02 एवं शेख नवाब मंशूरी अ.सा.03, शब्बीर अहमद अ.सा.05 की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध घटना प्रमाणित नहीं मानी जाती है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 19.05.2014 से दिनांक 28.10.2014 के मध्य ग्राम वार्ड नंबर 04 लाल चौक दमोह थाना अंतर्गत बिरसा में

फरियादी फलक मंशूरी से फरियादिया के पति, नंद एवं नंदोई होने के नाते फरियादिया से द्रक के लिये 2,00,000 / - रुपये नगद एवं सोने की बाली की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताङ्गित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे है। इस 12-संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावे। 14-

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित। दिनांकित कर घोषित किया गया।

(दिलीप सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर जिला–बालाघाट

तंह प्रथम जला–बाला (दिलीप सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,